

## आदेश

पुलिस अवर निरीक्षकों को ए०सी०पी०/एम०ए०सी०पी० का लाभ देने हेतु क्षेत्रीय पर्वदों से प्राप्त मनोनयन/अनुशंसाओं के आलोक में दिनांक-13.10.2018 एवं बाद की तिथियों में आयोजित पुलिस महानिदेशक पर्वद की बैठक एवं दिनांक-10.08.2018 को लिये गये नीतिगत निर्णय के आलोक में निम्नांकित पुलिस अवर निरीक्षकों के मामले कंडिका-05 में वर्णित कारणों से अयोग्य/लंबित/विचारण की परिधि से बाहर पाये गये, जो निम्नवत् हैं :-

(1) महानिदेशक पर्वद द्वारा निम्नांकित पुलिस अवर निरीक्षकों को उनके नाम के सामने अंकित कारणों से ए०सी०पी०/एम०ए०सी०पी० योजना के अन्तर्गत देय/अदेय लाभ कंडिका-5 में अंकित कारणों से अयोग्य पाया गया :-

क्र०	पु०अ०नि० का नाम/ जन्म तिथि	पदस्थापन जिला	नियुक्ति तिथि	अयोग्यता का कारण
1	2	3	4	5
1	सैप अहमद खॉ /08.08.66	सीतामढ़ी	सीधे नियुक्त 05.09.94	वृहद सजा के प्रभाव के कारण।

(2) महानिदेशक पर्वद द्वारा निम्नांकित पुलिस अवर निरीक्षकों के पदाधिकारियों को उनके नाम के सामने अंकित कारणों से ए०सी०पी०/एम०ए०सी०पी० योजना के अन्तर्गत देय/अदेय लाभ स्तम्भ-5 में अंकित कारणों से लंबित रखा गया :-

क्र०	पु०अ०नि० का नाम/ जन्म तिथि	पदस्थापन जिला	नियुक्ति तिथि	लंबित होने का कारण
1	2	3	4	5
1	मुरारी प्रसाद/29.06.64	जमुई	01.06.86 सिपाही	जमुई जिला वि०का० जिलादेश सं०-1217/17 लंबित
2	रामजनम राम/ 16.02.63	वैशाली	सिपाही 03.03.87	मुजफ्फरपुर जिला वि०जा० जिलादेश सं०-2255/16 में घ०ति० अंकित नहीं।
3	हरे राम पासवान 17.01.1968	मुजफ्फरपुर	सिपाही 01.07.87	वि०का० लंबित
4	उमाकांत 16.12.65	जमुई	05.09.94	वि०का० सं०-26/14 में घ०ति० मनोनयन एवं सेवापुस्ति में अंकित नहीं।

(3) महानिदेशक पर्वद द्वारा निम्नांकित पुलिस अवर निरीक्षकों के ए०सी०पी०/एम०ए०सी०पी० के मामले उनके नाम के सामने कंडिका 5 में अंकित कारणों से विचारण की परिधि से बाहर पाये गये :-

क्र०	पु०अ०नि० का नाम/जन्म तिथि	पदस्थापन जिला	नियुक्ति तिथि	विचारणीय नहीं होने का कारण
1	2	3	4	5
1	श्याम चरण वानरा 06.02.63	शिवहर	सिपाही 01.12.86	हिन्दी टिप्पण प्रारूपण परीक्षा पुलिस अवर निरीक्षक पद पर प्रोन्नति के उपरान्त उत्तीर्ण हुए हैं। अतः पुलिस अधीक्षक, शिवहर श्री वानरा से स्पष्टीकरण प्राप्त कर संसूचित करेंगे कि दिनांक- 21.10.03 (स०अ०नि० में प्रोन्नति की तिथि) से दिनांक-22.07.12 (हि०टि०प्रा० परीक्षा उत्तीर्ण होने की तिथि) तक प्राप्त आर्थिक लाभ की कटौती क्यों नहीं कर ली जाय।
2	वशिष्ठ नारायण सिंह 03.10.51	रोहतास	21.06.71 सिपाही	हिन्दी टिप्पण-प्रारूपण परीक्षा अनुत्तीर्ण। श्री सिंह वर्ष 2011 में ही सेवानिवृत्त हो चुके हैं।
3	अम्बिका प्र० शर्मा 01.03.65	मुंगेर	01.08.86	तृतीय एम०ए०सी०पी० के लिए अवधि पूर्ण नहीं।

पुलिस महानिदेशक, बिहार के आदेशानुसार

*h*  
12/11/18

पुलिस महानिदेशक के सहायक(कल्याण)  
बिहार, पटना।

ज्ञापांक...794/396.832/पी०-2

7-23-36-2016

पुलिस महानिदेशक का कार्यालय, बिहार, पटना।

पटना, दिनांक :- 12-11-2018

प्रतिलिपि :-

1. सभी संबंधित महानिदेशक, पटना, बिहार को कृपया सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित।
2. सभी संबंधित अपर पुलिस महानिदेशक, बिहार को कृपया सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित।
3. सभी संबंधित पुलिस महानिरीक्षक, बिहार को कृपया सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित।
4. सभी संबंधित वरीय पुलिस अधीक्षक को कृपया सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित।
5. सभी संबंधित पुलिस अधीक्षक को कृपया सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित।

संबंधित पुलिस उप-महानिरीक्षकों/वरीय पुलिस अधीक्षकों/पुलिस अधीक्षकों से अनुरोध है कि उपरोक्त लंबित/अयोग्य मामलों के कारणों का निराकरण करते हुए छूटे हुए मामलों के साथ संशोधित मनोनयन अविलम्ब पुलिस मुख्यालय में उपलब्ध कराया जाय।

*h*  
12/11/18

पुलिस महानिदेशक के सहायक(कल्याण)  
बिहार, पटना।